

प्रेषक,
उप सचिव
उ० प्र० शासन
शिक्षा-5 अनुभाग
लखनऊ

सेवा में,
शिक्षा निदेशक (बेसिक) एवं अध्यक्ष
उ० प्र० बेसिक शिक्षा परिषद्
इलाहाबाद।

लखनऊ, दिनांक : 18 मई 1981

विषय—उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के नियंत्रणाधीन कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके अ० शा० पत्रांक बे०शि०प० (शिविर) 387—एक-2 (1)—81-82 दिनांक 6-4-81 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश संख्या 3760—15(5)—30—449—76 दिनांक 7-9-80 में मुझे आपसे यह कहने की निर्देश हुआ है कि उक्त शासनादेश दिनांक 7-9-80 में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबन्ध को बेसिक शिक्षा परिषद् के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति का अवसर प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उक्त शासनादेश दिनांक 7-9-80 में लगे प्रतिबन्ध को बेसिक शिक्षा परिषद् के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद पर नियुक्ति किए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दशाओं में लागू नहीं माना जाएगा।

- (1) मृतक कर्मचारी के केवल एक आश्रित को नियुक्ति का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उपलब्ध रिक्त पद पर नियुक्ति की जा सकेगी।
- (2) प्रथम नियुक्ति रु० 165-00 नियत वेतनमान पर ही की जाएगी।
- (3) नियुक्ति उसी दशा में की जायेगी जब स्वीकृत पद जनपद विशेष में उपलब्ध होगा।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या यू० ओ० ई० 11—1253 दिनांक 8-5-81 में प्राप्त सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

प्रमाणित प्रतिलिपि
सहायक लेखाधिकारी
जिला परिषद् मेरठ

भवदीय
बंसत बल्लभ पाण्डेय
उप सचिव